मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 2 /03/2023

क्रमांक एफः1/1/1/0001/2023/1-10 :: राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नलिखित परिवीक्षाधीन वनक्षेत्रपालों को 02 वर्ष की परिवीक्षा पूर्ण करने पर कॉलम-3 में उल्लेखित पदस्थापना से कॉलम-4 में उल्लेखित पदस्थापना पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है:-

क्र.	वनक्षेत्रपाल का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
1	2	3	4
1.	कु.श्रुति राठौर	परिक्षेत्र अधिकारी गोटेगांव, सामान्य वनमण्डल नरसिंहपुर	परिक्षेत्र अधिकारी गोटेगांव, सामान्य वनमण्डल नरसिंहपुर
2.	श्री श्रीकांत भारद्वाज	परिक्षेत्र अधिकारी, फतेहगढ़, सामान्य वनमण्डल गुना	वन विस्तार अधिकारी, मुरैना, सामाजिक वानिकी वृत्त ग्वालियर
3.	श्री वीरेन्द्र लोधी	परिक्षेत्र अधिकारी, धूलकोट, सामान्य वनमण्डल बुरहानपुर	वन विद्यालय शिवपुरी
4.	श्री वैभव उपाध्याय	परिक्षेत्र अधिकारी, बोकराटा, सामान्य वनमण्डल बड़वानी	परिक्षेत्र अधिकारी, महू, सामान्य वनमण्डल इन्दौर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

2/3/23
(अशोक कुमार)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

Order 2023H.S.Ahirwar

निरन्तर......

पृ0 क्रमांक एफ 1/1/1/0008/2022/1-10, भोपाल, दिनांक 2 /03/2023

प्रतिलिपिः-

(1) महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।

(2) विशेष सहायक, मान. वनमंत्री जी मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।

(3) प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म0 प्र0, भोपाल।

(4) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-।।), भोपाल।

(5) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सूचना एवं प्रौद्योगिकी), सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर बैवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(6) संबंधित मुख्य वन संरक्षक/वनमण्लाधिकारी..

(7) स्टाफ ऑफीसर, अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, वन विभाग।

(8) संयुक्त संचालक, जनसंपर्क, म.प्र. मंत्रालय भोपाल।

(9) संबंधित ....वनक्षेत्रपाल द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-।।) भोपाल।

(10) गार्ड फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

2/3/23

अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

email — 03-03-23 — 11:27

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 2/03/2023

क्रमांक एफ:1/1/1/0001/2023/1-10 :: राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नलिखित परिवीक्षाधीन वनक्षेत्रपालों को 02 वर्ष की परिवीक्षा पूर्ण करने पर कॉलम-3 में उल्लेखित पदस्थापना से कॉलम-4 में उल्लेखित पदस्थापना पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है:-

क्र.	वनक्षेत्रपाल का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
1	2	3	4
1.	कु.श्रुति राठौर	परिक्षेत्र अधिकारी गोटेगांव, सामान्य वनमण्डल नरसिंहपुर	परिक्षेत्र अधिकारी गोटेगांव, सामान्य वनमण्डल नरसिंहपुर
2.	श्री श्रीकांत भारद्वाज	परिक्षेत्र अधिकारी, फतेहगढ़, सामान्य वनमण्डल गुना	वन विस्तार अधिकारी, मुरैना, सामाजिक वानिकी वृत्त ग्वालियर
3.	श्री वीरेन्द्र लोधी	परिक्षेत्र अधिकारी, धूलकोट, सामान्य वनमण्डल बुरहानपुर	वन विद्यालय शिवपुरी
4.	श्री वैभव उपाध्याय	परिक्षेत्र अधिकारी, बोकराटा, सामान्य वनमण्डल बड़वानी	परिक्षेत्र अधिकारी, महू, सामान्य वनमण्डल इन्दौर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

2/3/23
(अशोक कुमार)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

निरन्तर......

Order 2023H.S.Ahirwar

पृ0 क्रमांक एफ 1/1/1/0008/2022/1-10, भोपाल, दिनांक 2 /03/2023

प्रतिलिपिः-

(1) महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
(2) विशेष सहायक, मान. वनमंत्री जी मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
(3) प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म0 प्र0, भोपाल।
(4) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-।।), भोपाल।
(5) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सूचना एवं प्रौद्योगिकी), सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर बैवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
(6) संबंधित मुख्य वन संरक्षक/वनमण्लाधिकारी...
(7) स्टाफ ऑफीसर, अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, वन विभाग।
(8) संयुक्त संचालक, जनसंपर्क, म.प्र. मंत्रालय भोपाल।
(9) संबंधित ....वनक्षेत्रपाल द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-।।) भोपाल।
(10) गार्ड फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

2/3/23

अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक / 13 /2023

क्रमांक 483 /1708/2021/10-1 :माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका कमांक 4717/2001 में दिनांक 22.02.2018 को निर्णय दिया था कि चूंकि समस्त वनपाल अब सेवा निवृत्त हो चुके हैं, अतः उनकी पुर्ननिर्धारित वरिष्ठता, पेंशन एवं सेवानिवृत्त पर देय स्वत्वों के लिये लागू होगी एवं उन्हें उप वनक्षेत्रपाल अथवा वनक्षेत्रपाल के पदों पर वरिष्ठता का वेतन अवशेष देय नहीं होगा। तत्पश्चात् मान. सर्वोच्च न्यायालय में दायर अपील कमांक 36685/2018 में पारित निर्णय दिनांक 30.11.2018 में राज्य सरकार की अपील को निरस्त कर दिया गया। अतः माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 22.02.2018 के परिपालन में उप वनक्षेत्रपाल से वनक्षेत्रपाल के पद पर विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 16.07.2008 की पुनर्विचार बैठक दिनांक 20.01.2023 आयोजित की गई जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 16.07.2008 में अपनाये गये मापदण्डों के आधार पर निम्नलिखित 09 उप वनक्षेत्रपालों को पदोन्नति योग्य पाये जाने की समिति द्वारा की कई अनुशंसा अनुसार दिनांक 30.07.2008 से वनक्षेत्रपाल के पद पर नोशनल रूप से "कार्य नहीं वेतन नहीं" सिद्धांत पर पदोन्नत करता है:-

स.क.	वरीयता कमांक दिनांक 01.04.2007 की स्थिति में	उपवनक्षेत्रपाल का नाम
1	2	3
1.	102/8	श्री आई.बी. सिंह
2.	102/9	श्री जे.एन. तिवारी
3.	102/12	श्री जितेन्द्र नाथ तिवारी
4.	103/4	श्री रामप्रकाश शर्मा
5.	103/5	श्री अनिल कुमार मिश्रा
6.	199/5	श्री अजब सिंह रघुवंशी
7.	291/4	श्री आनंद कुमार सिंह
8.	291/5	श्री आर.बी. सिंह (राज बहादुर सिंह)
9.	457/2	श्री राधेश्याम नामदेव

निरन्तर...2

2/ माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका कमांक 4717/2001 म.प्र. शासन एवं अन्य विरूद्ध श्री गणेश प्रसाद दुबे एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.02.2018 में दिये गये आदेशों के अनुसार पदोन्नत वनक्षेत्रपालों को उनके समक्ष अंकित पदोन्नति दिनांक से वेतन निर्धारण किया जायेगा, परन्तु "कार्य नहीं वेतन नहीं" सिद्धांत के आधार पर वेतन अवशेष देय नहीं होगा। उपरोक्त वेतन निर्धारण पेंशन के पुनर्निर्धारण एवं अन्य सेवानिवृत्ति देय स्वत्वों के लिये लागू होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अशोक कुमार)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

पृ0 क्रमांक 484 /1708/2021/10-1 भोपाल, दिनांक / 13 /2023

प्रतिलिपिः-

(1) महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
(2) विशेष सहायक, मान. वनमंत्री जी मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
(3) प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म0 प्र0, भोपाल।
(4) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-।।), भोपाल।
(5) संबंधित वनमण्डलाधिकारी...
(6) स्टाफ ऑफीसर, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, वन विभाग।
(7) संयुक्त संचालक, जनसंपर्क, म.प्र. मंत्रालय भोपाल।
(8) संबंधित .... द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-।।) भोपाल।
(9) गार्ड फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

OrderHS Ahirwar

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 1 /03/2023

क्रमांक एफः 3-24/2015/10-1 : उप वनक्षेत्रपाल से वनक्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 09.09.2015 को आयोजित की गई थी। उक्त की पुनर्विचार बैठक दिनांक 20.01.2023 को आयोजित की गई।

2/ वन विभाग के पत्र क्र. एफ-3-34/2016/10-1 दिनांक 30.03.2017 द्वारा तत्समय प्रचलित भर्ती नियम अनुसार वर्ष 2001 के पूर्व वनरक्षक प्रशिक्षण में उत्तीर्ण होने वाले 14 वनरक्षक जिन्हें वनपाल प्रशिक्षण पर नहीं भेजा जा सका, काल्पनिक प्रशिक्षण उत्तीर्ण दिनांक से वनपाल के पद पर वरीयता निर्धारित करने की स्वीकृति जारी की गई। जिसमें श्री गुलवीर सिंह, वनरक्षक को दिनांक 01.11.2002 से वनपाल पद पर वरीयता देने बावत स्वीकृति प्रदान की गई।

3/ मुख्य वन संरक्षक मध्य वृत्त जबलपुर के आदेश क्रमांक 159, दिनांक 10.08.2017 से वनपाल संवर्ग में दिनांक 01.11.2002 से वरीयता निर्धारित की गई एवं मुख्य वन संरक्षक जबलपुर के आदेश क्रमांक 246, दिनांक 05.12.2017 द्वारा श्री गुलवीर सिंह को उप वनक्षेत्रपाल के पद पर जबलपुर वृत्त में उनसे कनिष्ठ वनपाल के उप वनक्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नति दिनांक 26.09.2009 से "कार्य नहीं वेतन नहीं" सिद्धांत पर पदोन्नति/वरीयता निर्धारित की गई।

4/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-।।) मध्यप्रदेश भोपाल के आदेश क्रमांक/क्षे.स्था.-1/2021/25, दिनांक 11.01.2021 द्वारा मुख्य वन संरक्षक जबलपुर के आदेश क्रमांक 246, दिनांक 05.12.2017 द्वारा उप वनक्षेत्रपाल के पद पर दिनांक 26.09.2009 से प्रदान की गई वरीयता को मान्य कर राज्य स्तरीय उप वनक्षेत्रपाल की दिनांक 01.04.2014 की स्थिति में जारी वरीयता सूची में श्री गुलवीर सिंह को वरीयता क्रमांक 209 श्री रामकिशोर द्विवेदी से नीचे तथा अनुक्रमांक 210 पर श्री गुरूप्रसाद मिश्रा के ऊपर वरीयता क्रमांक "209 बी" पर वरीयता निर्धारित की गई।

5/ उप वनक्षेत्रपाल की दिनांक 01.04.2014 की स्थिति में जारी वरीयता सूची के आधार पर उप वनक्षेत्रपाल से वनक्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नति हेतु आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 09.09.2015 की अनुशंसा अनुसार वन विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 3-24/2015-10-1, दिनांक 28.11.2015 द्वारा वरीयता कमांक 209 श्री रामकिशोर द्विवेदी तथा वरीयता कमांक 211 श्री राकेश भार्गव को उप वनक्षेत्रपाल से वनक्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नति दी गई। अतः श्री गुलवीर सिंह, उप वनक्षेत्रपाल को उनके कनिष्ठ श्री राकेश भार्गव के वनक्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नति दिनांक 28.11.2015 से वनक्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नति की पात्रता आती है।

निरन्तर.........2

6/ उप वनक्षेत्रपाल से वनक्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की पुनर्विचार बैठक दिनांक 20.01.2023 में समिति द्वारा श्री गुलवीर सिंह, उप वनक्षेत्रपाल को उनके कनिष्ठ श्री राकेश भार्गव के वनक्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नति दिनांक 28.11.2015 से वनक्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नत करने हेतु योग्य पाया गया।

7/ यहां यह भी उल्लेखनीय है कि सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक 401/300/2010/3/1, दिनांक 09 अप्रैल 2019 द्वारा सचिव मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग इन्दौर को अभिमत दिया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.05.2016 के पूर्व की डी.पी.सी. के आधार पर निर्णय लिये जाने की बाध्यता नहीं है।

8/ अतः राज्य शासन एतद्द्वारा श्री गुलवीर सिंह, उप वनक्षेत्रपाल को उनके कनिष्ठ श्री राकेश भार्गव के वनक्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नति दिनांक 28.11.2015 से वनक्षेत्रपाल के पद पर **"कार्य नहीं वेतन नहीं के सिद्धांत पर"** वेतनमान पी.बी. रुपये 9300-34800 + ग्रेडपे 3600 (छठवां वेतनमान) पदोन्नत करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
1/3/23
(अशोक कुमार)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

पृ0 :एफ03-24/2015/10-1 भोपाल, दिनांक 1 /03/2023
प्रतिलिपि-

1. महालेखाकार, ग्वालियर, मध्यप्रदेश।
3. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी वन म0प्र0 भोपाल।
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख सतपुड़ा भवन म0प्र0 भोपाल।
4. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (प्रशा.-।।), म0प्र0 भोपाल।
5. स्टाफ आफीसर, अपर मुख्य सचिव, म0प्र0शासन, वन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
6. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क, म.प्र. मंत्रालय भोपाल।
7. संबंधित वनक्षेत्रपाल द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (प्रशा.-।।),म.प्र. भोपाल।
8. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

01/3/23
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 13 /2023

क्रमांक एफः 3-69/2013/10-1 : उप वनक्षेत्रपाल से वनक्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 29.06.2013 को आयोजित की गई थी। उक्त की पुनर्विचार बैठक दिनांक 28.12.2022 को आयोजित की गई।

2/ वन विभाग के पत्र क्र. एफ-3-34/2016/10-1 दिनांक 30.03.2017 द्वारा तत्समय प्रचलित भर्ती नियम अनुसार वर्ष 2001 के पूर्व वनरक्षक प्रशिक्षण में उत्तीर्ण होने वाले 14 वनरक्षक जिन्हें वनपाल प्रशिक्षण पर नहीं भेजा जा सका, काल्पनिक प्रशिक्षण उत्तीर्ण दिनांक से वनपाल के पद पर वरीयता निर्धारित करने की स्वीकृति जारी की गई। जिसमें श्री रामकृष्ण मरावी, वनरक्षक को दिनांक 01.11.2002 से वनपाल पद पर वरीयता देने बावत स्वीकृति प्रदान की गई।

3/ मुख्य वन संरक्षक मध्य वृत्त जबलपुर के आदेश क्रमांक 159, दिनांक 10.08.2017 से वनपाल संवर्ग में दिनांक 01.11.2001 से वरीयता निर्धारित की गई एवं मुख्य वन संरक्षक जबलपुर के आदेश क्रमांक 246, दिनांक 05.12.2017 द्वारा श्री रामकृष्ण मरावी को उप वनक्षेत्रपाल के पद पर जबलपुर वृत्त में उनसे कनिष्ठ वनपाल के उप वनक्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नति दिनांक 26.09.2009 से "कार्य नहीं वेतन नहीं" सिद्धांत पर पदोन्नति/वरीयता निर्धारित की गई।

4/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-II) मध्यप्रदेश भोपाल के आदेश क्रमांक/क्षे. स्था.-1/2021/20, दिनांक 11.01.2021 द्वारा मुख्य वन संरक्षक जबलपुर के आदेश क्रमांक 246, दिनांक 05.12.2017 द्वारा उप वनक्षेत्रपाल के पद पर दिनांक 26.09.2009 से प्रदान की गई वरीयता को मान्य कर राज्य स्तरीय उप वनक्षेत्रपाल की दिनांक 01.04.2012 की स्थिति में जारी वरीयता सूची में श्री रामकृष्ण मरावी (अ.ज.जा.वर्ग) को वरीयता क्रमांक 216 श्री तीरथ प्रसाद खानडे (अ.ज.जा.वर्ग) से नीचे तथा वरीयता क्रमांक 217 पर श्री बुधराम टेकाम (अ.ज.जा.वर्ग) के ऊपर वरीयता क्रमांक "216 ए" पर वरीयता निर्धारित की गई।

निरन्तर......2

5/ उप वनक्षेत्रपाल की दिनांक 01.04.2012 की स्थिति में जारी वरीयता सूची के आधार पर उप वनक्षेत्रपाल से वनक्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नति हेतु आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 29.06.2013 की अनुशंसा अनुसार मध्यप्रदेश शासन के आदेश क्रमांक एफ. 3-69/2013-10-1, दिनांक 04.09.2013 द्वारा वरीयता क्रमांक 216 श्री तीरथ प्रसाद खानडे (अ.ज.जा. वर्ग) एवं वरीयता कमांक 217 श्री बुधराम टेकाम (अ.ज.जा. वर्ग) की उप वनक्षेत्रपाल से वनक्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नति दी गई। अतः श्री रामकृष्ण मरावी (अ.ज.जा.वर्ग), उप वनक्षेत्रपाल को उनके कनिष्ठ श्री बुधराम टेकाम (अ.ज.जा.वर्ग) के वनक्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नति दिनांक 04.09.2013 से वनक्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नति की पात्रता आती है।

6/ उप वनक्षेत्रपाल से वनक्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की पुनर्विचार बैठक दिनांक 28.12.2022 में श्री रामकृष्ण मरावी, उप वनक्षेत्रपाल को उनके कनिष्ठ श्री बुधराम टेकाम के वनक्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नति दिनांक 04.09.2013 से वनक्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नति हेतु योग्य पाया गया।

7/ यह उल्लेखनीय है कि सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक/ 401/300/2010/3/एक दिनांक 09 अप्रैल 2019 द्वारा सचिव, म.प्र. लोक सेवा आयोग को दिये गये विधिक अभिमत अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.05.2016 के पूर्व के डी.पी.सी. के आधार पर पदोन्नति के संबंध में निर्णय लिये जाने में बाधक नहीं है।

8/ अतः राज्य शासन एतद्द्वारा श्री रामकृष्ण मरावी, उप वनक्षेत्रपाल को उनके कनिष्ठ श्री बुधराम टेकाम के वनक्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नति दिनांक 04.09.2013 से वनक्षेत्रपाल के पद पर ''कार्य नहीं वेतन नहीं के सिद्धांत पर'' वेतनमान पी.बी. रूपये 9300-34800+ ग्रेडपे 3600 (छठ्वां वेतनमान) में पदोन्नत करते हुये बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व उमरिया में पदस्थ करता है।

9/ मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के अधीन सुविधा सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर पंजी में पदोन्नति प्रविष्टी नहीं की गई है क्योंकि वर्तमान में पदोन्नति नियम 2002 अस्तित्व में नहीं है।

निरन्तर.....3

10/ उपरोक्त पदोन्नति मध्यप्रदेश सिविल सेवा(सेवा भर्ती शर्तें) नियम 1961 के अंतर्गत 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिये होगी। पदोन्नत पद पर वेतन निर्धारित करने के लिए पदोन्नत अधिकारी को आदेश प्राप्ति के दिनांक से एक माह के अंदर वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 8/2009/नियम-4 दिनांक 23.03.2009 के अनुसार अपना विकल्प प्रस्तुत करना होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

01/3/23
(अशोक कुमार)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

पृ0 क्रमांक एफ 3-69/2013/10-1 भोपाल, दिनांक 1/03/2023

प्रतिलिपिः-

(1) महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
(2) सचिव, म0प्र0 लोक सेवा आयोग, इन्दौर।
(3) प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म0 प्र0, भोपाल।
(4) विशेष सहायक, मान. वनमंत्री जी मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
(5) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-II), भोपाल।
(6) संबंधित मुख्य वन संरक्षक/वनमण्लाधिकारी...
(7) स्टाफ ऑफीसर, अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, वन विभाग।
(8) संयुक्त संचालक, जनसंपर्क, म.प्र. मंत्रालय भोपाल।
(9) संबंधित श्री रामकृष्ण मरावी, वनक्षेत्रपाल द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-II) भोपाल।
(10) गार्ड फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

01/3/23
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग